

विधानसभा आम चुनाव – 2013

सैकटर अधिकारियों के लिये

चैकलिस्ट

2013

निर्वाचन विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विधानसभा चुनावों के संचालन के संबंध में सैक्टर अधिकारियों के लिये चैकलिस्ट

अनुक्रमणिका

भाग संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सैक्टर ऑफिसर की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण	1
2	सैक्टर अधिकारियों को दी जाने वाली सामग्री	2
3	सैक्टर अधिकारियों को दिये जाने वाले परिपत्र	2
4	कर्तव्य एवं दायित्व	3
5	स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों के लिए उपाय	3
6	सैक्टर अधिकारी के मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व	4—14
7	सैक्टर अधिकारी के लिए अन्य बिन्दु	14
8	सम्प्रेषण योजना	14
9	वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था	15
10	सैक्टर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन	15
	Format VM-SO	17—18
	प्रपत्र—1	19
	प्रपत्र—2	20
	प्रपत्र—3	21
	प्रपत्र—4	22—23

1. सैक्टर ऑफिसर की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

- (i) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा आम चुनाव हेतु कार्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किये जायेंगे।
- (ii) चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से पूर्व ही जिला निर्वाचन अधिकारी 10 से 12 मतदान स्थलों को कवर करते हुए एक सैक्टर का निर्धारण करेंगे। यह सैक्टर इस प्रकार हो कि जिसे 1 से 2 घन्टे की अवधि में पूरा कवर किया जा सके।
- (iii) सैक्टर अधिकारियों को अपने सैक्टर में वुलनरेबिलिटी मैपिंग (Vulnerability Mapping) आम मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। इनके अलावा वोटिंग मशीन, चुनाव प्रबन्धन, मतदान प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा चुनाव के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- (iv) चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व ही सैक्टर अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कर दी जायेगी। राज्य सरकार के किसी विभाग या राजकीय उपक्रम के राजपत्रित या समकक्ष अधिकारियों में से सैक्टर अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। यदि केन्द्र सरकार या केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में राजपत्रित/उनके समकक्ष अधिकारी उपलब्ध है तो उन्हें भी नियुक्त किया जा सकता है।
- (v) इन सैक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर अथवा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आयोजित कराये जायेंगे।
- (vi) सैक्टर अधिकारियों को विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) एवं संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व दिया जायेगा ताकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही सैक्टर अधिकारी अपना कार्य प्रारम्भ कर सके।
- (vii) ये सैक्टर अधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरन्त बाद मतदान प्रक्रिया समाप्ति तक अपने सैक्टर में कार्य करेंगे।

2. सैक्टर अधिकारियों को दी जाने वाली सामग्री

प्रशिक्षण के दौरान सैक्टर अधिकारी को पॉवर पाईन्ट प्रस्तुतीकरण की प्रति, सैक्टर का नक्शा, रूट चार्ट, सैक्टर में शामिल अधिसूचित मतदान केन्द्रों की सूची, सैक्टर अधिकारी का पहचान पत्र, मतदान केन्द्रों से संबंधित मतदाता के आंकड़े, विभाग की हैल्पलाईन से संबंधित जानकारी, मतदाताओं में जागरूकता हेतु पोस्टल पम्पलेट्स आदि सामग्री, सैक्टर में भयग्रस्त/असुरक्षित महसूस करने वाले मतदाताओं की पहचान हेतु मतदाता सूची, RO/ARO/SHO/BLOs व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की सूची दूरभाष नम्बर आदि।

3. सैक्टर अधिकारियों को दिये जाने वाले परिपत्र

भारत निर्वाचन आयोग के निम्नांकित परिपत्रों का सेट दिया जायेगा:-

1. परिपत्र दिनांक 12.10.2007 —Vulnerability Mapping बाबत।
2. परिपत्र दिनांक 24.10.2008 — District Election Plan & Sector Management Plan बाबत।
3. परिपत्र दिनांक 22.03.2009 — कानून व्यवस्था एवं Vulnerability Mapping से संबंधित सूचनाओं के बाबत
4. परिपत्र दिनांक 31.03.2009 — कानून व्यवस्था एवं Vulnerability Mapping से संबंधित सूचनाओं के बाबत
5. परिपत्र दिनांक 05.03.2011 — Vulnerability Mapping से संबंधित सूचनाओं बाबत
6. परिपत्र दिनांक 23.03.2011 — Vulnerable Families/Voters के क्षेत्र में सैक्टर अधिकारी द्वारा मतदान दिवस को भ्रमण बाबत
7. निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किये गये सभी संबंधित निर्देश एवं परिपत्र।

4. कर्तव्य एवं दायित्व

- (i) सैक्टर अधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिन से मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक अपने सैक्टर में स्वतंत्र एवं निर्भय होकर मतदान हेतु Vulnerability Mapping एवं चुनाव प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी रहेगा।
- (ii) सैक्टर आफिसर को मतदान दिवस के कम से कम 7 दिन पूर्व उसी क्षेत्र के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी नामित किया जायेगा। इन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी दी जायेगी।
- (iii) सैक्टर अधिकारी सैक्टर मजिस्ट्रेट का कार्य भी करेंगे इसलिए वे पुलिस अधिकारी के साथ भी भ्रमण करेंगे।
- (iv) सैक्टर अधिकारी को मतदान केन्द्रों को प्रदर्शित करते हुए नजरी नक्शे के साथ, मतदान केन्द्रों के दूरभाष नम्बरों की सूची तथा निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों, पुलिस थानों, जिम्मेदार व्यक्तियों की सूची, असामाजिक तत्वों की सूची इत्यादि की सूचना के साथ प्रपत्र-4 में दिये गये नमूने के प्लॉन के अनुसार सैक्टर प्लान तैयार करना होगा।
- (v) सैक्टर अधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी तथा पर्यवेक्षक द्वारा बार-बार (साप्ताहिक) रिव्यू बैठकें आयोजित की जाएगी तथा उन्हें आवंटित तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा।
- (vi) सैक्टर आफिसरों के द्वारा सम्प्रेषण योजना (Communication Plan) की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी।
- (vii) चुनाव प्रचार में निषिद्ध गतिविधियों पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग

5. स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों के लिए उपाय

- (i) भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों के उपायों के लिए समय-समय पर निर्देश जारी करता रहा है। स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व यह है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी रुकावट के और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और इस प्रकार का वातावरण भी बने।
- (ii) किसी व्यक्ति के मताधिकार के प्रयोग करने पर किसी अन्य व्यक्ति, अभ्यर्थी या उसके कार्यकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से असम्यक असर डालना (Undue influence) या इसके लिए प्रयास करना भारतीय दंड संहिता

की धारा 171—ग के अन्तर्गत अपराध है साथ ही लोक प्रतिनिधित्व की धारा 123 (2) के अन्तर्गत इसे भ्रष्ट आचरण भी माना गया है।

(iii) आम चुनावों में धनबल एवं भुजबल की भूमिका तथा अन्य तथ्यों का संज्ञान लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं/मतदाताओं के समूह जो स्वतंत्र एवं निर्भय होकर मतदान करने में असुरक्षित समझते हैं अथवा जिन्हें दंबगों के डराया/धमकाया जाता है या भय दिखाया जाता है, में विश्वास जागृत करने के लिए और उनके द्वारा निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए वातावरण बनाने हेतु कार्य योजना बाबत Vulnerability Mapping के विस्तृत निर्देश जारी किये हैं।

(iv) Vulnerability Mapping के संबंध में सैक्टर अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है।

(v) सैक्टर अधिकारियों के कर्तव्य—दायित्वों को तीन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है:—

(अ) मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व—

(1) Vulnerability Mapping संबंधी।

(2) मतदान केन्द्रों व मतदान स्थलों व चुनाव प्रबंधन के संबंध में।

(3) मतदाताओं में पंजीकरण एवं मतदान हेतु जागरूकता के संबंध में।

(ब) मतदान के पूर्व दिवस संबंधी दायित्व

(स) मतदान दिवस संबंधी दायित्व

6. सैक्टर अधिकारी के मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व

6.1 भयग्रस्त परिवारों/क्षेत्रों (Vulnerable Families/Areas) की पहचान बाबत – (भारत निर्वाचन आयोग का परिपत्र क्रमांक 464/INST/2007/PLN-I दिनांक 12.10.07 एवं पत्र क्रमांक 464/Instructions/EPS/2011 दिनांक 05.03.2011)

(i) चुनाव के संदर्भ में Vulnerability का आशय—

(क) किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह का भयभीत होना, भले ही वह मतदाता ऐसे चिह्नित क्षेत्र में रह रहा हो या नहीं रह रहा हो।

- (ख) मतदाता को स्वतंत्र रहकर और स्वच्छ तरीके से अपने मताधिकार के उपयोग करने में गलत तरीके से रोका जाना या उस पर प्रभाव डालना।
- (ग) मतदाता को प्रताड़ना या उस पर असम्यक प्रभाव डालना या किसी प्रकार का बल प्रयोग।
- (ii) चुनावों के संदर्भ में भयग्रस्तता—निवारण बाबत् निम्नांकित केन्द्र बिन्दुओं के दृष्टिगत कार्यवाही की जायेगी—
- (क) ऐसे भयग्रस्त मतदाता या मतदाताओं के समूह की स्पष्ट रूप से पहचान करना,
- (ख) ऐसे व्यक्तियों अथवा तथ्यों की पहचान करना, जिसके कारण मतदाता/मतदाताओं का वर्ग भयग्रस्त है अथवा असुरक्षित महसूस करता है, तथा
- (ग) अग्रिम तौर पर सुधारात्मक कार्यवाही की योजना बनाना और उस पर कार्यवाही करना।
- (iii) भय एवं प्रताड़ना से ग्रस्त क्षेत्रों/परिवारों/मतदाताओं की पहचान हेतु सैक्टर अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व ही तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए सैक्टर अधिकारियों को उनके सैक्टर से संबंधित समस्त उपलब्ध सूचना, सैक्टर का नक्शा तथा वाहन भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- (iv) भय एवं प्रताड़ना से ग्रस्त क्षेत्रों/परिवारों/मतदाताओं की पहचान हेतु सैक्टर अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे, जिसमें निम्नांकित कार्यवाही शामिल हैं—
- (क) सैक्टर के प्रत्येक मतदान केन्द्र के समग्र क्षेत्र का गहन भ्रमण करेंगे,
- (ख) क्षेत्र के समुदायों के साथ और स्थानीय सूत्रों के साथ बैठकें करेंगे व सम्पर्क रखेंगे,
- (ग) भय एवं प्रताड़ना के स्त्रोतों को चिन्हित करेंगे,

- (घ) घटनाओं एवं विद्यमान अन्देशों (current apprehension) पर गौर करेंगे,
 - (ङ.) थानाधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार तथा क्षेत्र के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ परामर्श करेंगे,
 - (च) यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी द्वारा भय व प्रताडना से ग्रस्त इलाकों/वर्गों के बारे में कोई सूचना दी जाये तो उस पर भी गौर किया जायेगा और उसके संबंध में तथ्य एकत्र किये जायेंगे,
 - (छ) ऐसे व्यक्तियों के नाम एवं विवरण चिन्हित कर एकत्र किये जायेंगे जो कि भय एवं प्रताडना का कारण बने हुए हैं अथवा असम्यक असर डालते हैं।
- (v) उपरोक्त कार्यवाही के बाद सैक्टर अधिकारी निम्नांकित सूचनाएं भी तैयार करेंगे:—
- (क) ऐसे परिवारों एवं घरों की सूची जो भय या प्रताडना से ग्रस्त हैं अथवा असुरक्षित महसूस करते हैं,
 - (ख) ऐसे व्यक्तियों एवं तथ्यों की सूची जो भय व प्रताडना का कारण बने हुये हैं या जिनके कारण मतदाता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं,
 - (ग) भय, प्रताडना एवं असुरक्षा का कारण बने हुए व्यक्तियों व तथ्यों के संबंध में की गयी कार्यवाही तथा प्रस्तावित कार्यवाही,
 - (घ) भय या प्रताडना, अवैध प्रभाव से ऐसे मतदाताओं को सुरक्षित रखने एवं उनको संरक्षण देने हेतु उनके सम्पर्क के व्यक्तियों के नाम व दूरभाष/ मोबाइल नम्बर। इन संपर्क सूत्रों को आपात स्थिति में सहायता हेतु अपना मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराना।
 - (ङ.) सैक्टर अधिकारी क्षेत्र का गहन भ्रमण करने एवं उपरोक्त सूचनायें एकत्र करने के दौरान समय-समय पर रिटर्निंग

अधिकारी एवं थानाधिकारी को क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और प्रपत्र-2 में प्रत्येक भ्रमण पर सूचना रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

- (च) चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पूर्व अर्थात् नामांकनों की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दिवस तक अपने सैक्टर के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पृथक—पृथक Format VM-SO में पूर्ण सूचना रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- (छ) प्रत्येक मतदान केन्द्र के Format VM-SO में उस मतदान केन्द्र के समस्त Vulnerable परिक्षेत्रों/स्थलों/मतदाताओं का विवरण अंकित होना चाहिए।
- (ज) सैक्टर अधिकारी को उक्त Format VM-SO की सूचना प्रस्तुत करते समय यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसके सैक्टर के किसी भी मतदान केन्द्र में भय या प्रताड़ना से ग्रस्त कोई भी मतदाता/परिक्षेत्र/क्षेत्र/परिवार Format VM-SO की सूचना में शामिल होने से शेष नहीं रहा है और ना ही छूटा है।
- (झ) मतदाताओं के उक्त Format VM-SO की एक—एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को देने के साथ—साथ सैक्टर अधिकारी भी एक—एक प्रति अपने पास रखेगा।
- (ঞ) Format VM-SO के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी भी Format VM-SO तैयार करेंगे जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जायेगा।
- (ঘ) इसी प्रकार इन सूचनाओं के आधार पर जिला निर्वाचक अधिकारी भी Format VM-DEO तैयार कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। अन्तिम सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी।
- (ফ) Format VM-SO की सूचना के उपरान्त भी सैक्टर अधिकारी भय/प्रताड़ना से ग्रस्त एवं असुरक्षा महसूस करने वाले परिवारों/क्षेत्र में लगातार सम्पर्क रखकर जिला व पुलिस

प्रशासन द्वारा किये जा रहे निरोधात्मक उपायों व विश्वास बनाने के वातावरण हेतु सहयोग करते हुए कार्य करेंगे।

(vi) Vulnerability Mapping Exercise के संबंध में फॉलो—अप कार्यवाही—

- (क) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदाताओं में विश्वास बनाने के उपाय किये जायेंगे तथा उनके द्वारा भी इन क्षेत्रों का भ्रमण कर ऐसे वर्गों से बात की जायेगी।
- (ख) जिला प्रशासन द्वारा सभी संभव निरोधात्मक उपाय एवं कार्यवाही की जायेगी।
- (ग) राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों से भी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक चर्चा करेंगे।
- (घ) परेशान करने वाले/भयग्रस्त करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी हेतु थाना स्तर पर विशेष अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।
- (ङ.) चुनाव पर्यवेक्षक को भी ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं की गई कार्यवाही की जानकारी दी जायेगी।
- (च) असामाजिक तत्वों तथा जिनके कारण मतदाता भयग्रस्त है, उनके विरुद्ध धारा 107/116/151 द.प्र.सं. के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा आवश्यकता होने पर पुलिस बल की तैनातगी भी की जायेगी।
- (छ) पुलिस गश्ती दलों द्वारा लगातार भ्रमण किया जायेगा ताकि भय मुक्त वातावरण बने।
- (ज) केन्द्रीय पुलिस बल भी ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे तथा विशेष ध्यान देंगे।
- (झ) मतदान के पांच दिवस पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट (Action Taken Report) संयुक्त रूप से आयोग को भेजी जायेगी।

6.2 सैक्टर अधिकारी के मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व – मतदान स्थल एवं चुनाव प्रबंधन बाबत

- (i) यह सत्यापन करना कि नक्शे पर दर्शाये गये रूट व्यावहारिक है— उनकी पहुँच और सुगमता सुनिश्चित की जावें।
- (ii) मतदान केन्द्र पर ढांचागत व्यवस्थाएँ – पानी, छाया, रैम्प, टॉयलेट, दूरभाष इत्यादि, तथा भवन की भौतिक स्थिति के बारे में व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जावें।
- (iii) नये मतदान केन्द्रों का व्यापक प्रचार—प्रसार सुनिश्चित किया जावें।
- (iv) मतदान केन्द्र पर सम्पर्क हेतु मोबाईल फोन नम्बर/दूरभाष फोन नम्बर की सूचना ली जावें।
- (v) यह देखें कि मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी दल का कार्यालय तो संचालित नहीं है।
- (vi) चुनाव प्रचार में अवैध रूप से उपयोग में लाये जा रहे वाहनों के संचालन, सम्पत्ति के विरूपण, अवैध चुनाव प्रचार, सरकारी भवनों/सरकारी वाहनों/सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग तथा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सभी संभावनाओं पर निगरानी रखेंगे एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6.3 सैक्टर अधिकारी मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व – मतदाताओं बाबत

- (i) परिक्षेत्रों में मतदाताओं को वोटिंग मशीन का प्रदर्शन।
- (ii) जिन मतदाताओं के फोटो मतदाता पहचान पत्र बनने से शेष रह गये हैं उनके फोटो पहचान पत्र बनवाने के लिए उपाय करना।
- (iii) मतदान केन्द्रों के स्थान तथा हैल्पलाईनों के बाबत मतदाताओं को अवगत कराना।
- (iv) मतदाताओं में मतदान करने के लिए जागरूकता लाना— इसके लिए मतदाताओं एवं क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों से निरन्तर सम्पर्क करना
- (v) बी.एल.ओ. के माध्यम से या SMS या निर्वाचन विभाग की वेबसाईट के माध्यम से फोटो मतदाता सूची में अपने नामों

- को देखने के लिए मतदाताओं को अवगत कराना। तथा यदि उनका नाम नहीं है तो उसका उपाय बताना।
- (vi) मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निर्भय होकर बिना किसी लोभ—लालच के मतदान हेतु प्रोत्साहित करना।
 - (vii) किसी राजनैतिक कार्यकर्ता या उम्मीदवार या उसके कार्यकर्ता द्वारा अपने पक्ष में या किसी प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध किसी प्रकार के लालच या प्रलोभन में नहीं आने के लिए वातावरण बनाना।
 - (viii) मतदाताओं में यह प्रचारित करना कि मतदान के लिए रिश्वत लेना या कोई उपहार ग्रहण करना कानून के विरुद्ध है और अपराध है।

6.4 सैक्टर अधिकारी के मतदान के पूर्व दिवस के दायित्व

- (i) यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्रों पर मतदान दल पहुंच गये हैं और समस्त सामग्री उनके पास उपलब्ध है।
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा योजना (Security Plan) के अनुरूप मतदान केन्द्रों पर पुलिस बल पहुंच गया है।
- (iii) मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन संचालन या मतदान प्रक्रिया के संबंध में यदि कोई शंका है तो उसका समाधान करना।
- (iv) जहां मतदान केन्द्र में वीडियो/फोटोग्राफी की जानी है वहां वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर सुपरवाईजर पहुंच गया है।
- (v) मतदान केन्द्र की 200 मीटर परिधि में किसी दल/अभ्यर्थी का कार्यालय तो नहीं है।
- (vi) नियत्रण कक्ष को ओ.के. रिपोर्ट भेजना।

6.5 सैक्टर अधिकारी के मतदान दिवस के दायित्व

- (i) मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व दिखावटी मतदान की स्थिति सुनिश्चित करना – यदि कोई कठिनाई है तो उसके समाधान की कार्यवाही करना।
- (ii) बनावटी मतदान – मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय से एक घंटा पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जायेगा। यदि केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो

- (iii) दिखावटी मतदान प्रमाणन (Mock Poll Certification) को सुनिश्चित करना— दिखावटी मतदान का स्टेट्स 30 मिनट के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराना (आयोग का पत्र क्रमांक 51 / 7 / 2008—EMS दिनांक 15.7.2008)
- (iv) मतदान प्रारम्भ होने के समय तक सैक्टर अधिकारी ऐसे समस्त मतदान केन्द्रों की सूचना एकत्र करेंगे जहां बनावटी मतदान या तो एक ही मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में हुआ है या बनावटी मतदान के समय कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था।
- (v) जिन मतदान केन्द्रों पर मतदान अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में या एक ही मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में दिखावटी मतदान किया गया है वहाँ बार-बार भ्रमण करना एवं निगरानी रखना।
- (vi) मतदान प्रारम्भ होने के बाद इसकी सूचना देना।
- (vii) यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र पर लगाया गया पुलिस बल तैनात है।
- (viii) जहाँ आवश्यक है वहाँ वोटिंग मशीन को बदलना (सैक्टर ऑफिसर को आरक्षित वोटिंग मशीन भी रखनी है)।
- (ix) मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर निगरानी रखते हुए उनकी रिपोर्ट करना।
- (x) मतदान केन्द्र के भीतर प्रक्रिया के संबंध में मतदान दल को सहयोग करना।
- (xi) मतदान केन्द्रों के भ्रमण के समय यह देखना कि मतदान प्रक्रिया की शुद्धता बनी हुई है तथा मतदान के सभी पहलुओं पर निगरानी रखना।
- (xii) शासकीय मतदाता सूची (Voters' Slip) के लिए प्रशासन द्वारा बनाये गये सरकारी बूथ पर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची वितरण की व्यवस्था सुचारू रहे— यह सुनिश्चित करना।

- (xiii) राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा बनाये जाने वाले बूथ मतदान केन्द्र की सीमा से 200 मीटर दूर रहे, यह सुनिश्चित करना।
- (xiv) यदि कोई वाहन अवैध रूप से मतदाताओं को लाने—ले जाने का काम कर रहे हैं तो तुरन्त संबंधित पुलिस मोबाइल पार्टी/थाने को कार्यवाही हेतु सूचित करना।
- (xv) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट समय—समय पर मतदान प्रतिशत अवगत कराना।
- (xvi) मतदान दिवस को प्राप्त शिकायतों को निपटाना।
- (xvii) मतदान दलों द्वारा वोटिंग मशीन की सीलिंग तथा कागजात की तैयारी पर निगरानी रखना।
- (xviii) मतदान दलों को वोटिंग मशीन के साथ संग्रहण केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचाना।
- (xix) आवश्यकता होने पर आरक्षित दलों में से मतदान कार्मिकों को प्रतिस्थापित करना अथवा सहयोग के लिए लगाना।
- (xx) मतदान कार्मिकों को मानदेय भुगतान को सुनिश्चित करना।
- (xxi) मतदान केन्द्र के भ्रमण के समय मतदान केन्द्र में रखी गई विजिट शीट में इन्द्राज का हस्ताक्षर करना।
- (xxii) मतदान समाप्ति के बाद वह यह सुनिश्चित करेंगे कि :—
 - (क) पीठासीन अधिकारी की डायरी समुचित रूप से भरी गई है।
 - (ख) वोटिंग मशीने समुचित रूप से मुहरबन्द हैं।
 - (ग) 17ग की प्रतियाँ मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई हैं।
 - (घ) 17क का रजिस्टर समुचित रूप से भरा गया है।
 - (ङ.) मतों की संख्या प्ररूप 17—क, 17—ग कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन के आधार पर समान है।
 - (च) पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने हेतु समुचित रूप से भरा गया है।

(छ) मतदान पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी को पोलिंग के संबंध में प्रपत्र-3 में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

6.6 भय प्रताड़ना ग्रस्त परिवारों/मतदाताओं के संबंध में मतदान दिवस को विशेष ध्यान:-

- (i) पीठासीन अधिकारियों को भी उनके मतदान केन्द्र के ऐसे मतदाताओं जो भय व प्रताड़ना ग्रस्त मतदाताओं के रूप में चिह्नित है, की जानकारी दी जायेगी तथा उन्हें इंगित करने हेतु चिह्नित मतदाता सूची के अनुभाग में साईड-मार्जिन में उन मतदाताओं के नामों के सामने उपर से नीचे लाईन खींच कर दर्शाया जायेगा।
- (ii) सैक्टर अधिकारी मतदान केन्द्र में अपने प्रत्येक भ्रमण के समय इन मतदाताओं द्वारा वोट देने या वोट देने के लिए नहीं आने की सूचना प्राप्त करेगा।
- (iii) यह सूचना चिह्नित मतदाता सूची में मतदान कर चुके मतदाताओं के नामों को चिह्नित किये जाने हेतु लगाये गये tick (✓) मार्क के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।
- (iv) सैक्टर अधिकारी/मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाईल पार्टी भय/प्रताड़नाग्रस्त परिवारों/क्षेत्र में मतदान दिवस को कम से कम दो बार भ्रमण करेंगे।
- (v) सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाईल पार्टी ऐसे इलाकों का भी कम से कम दो बार भ्रमण करेंगे जहाँ पर मतदाताओं को धमकाने/भयभीत करना संभावित है।
- (vi) सैक्टर अधिकारी को यदि यह जानकारी मिलती है कि भय/प्रताड़ना ग्रस्त परिवार/मतदाता काफी संख्या में वोट देने के लिए अनुपस्थित है तो वह तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगा और उन क्षेत्रों में विशेष दल भेजा जाकर पता लगाया जायेगा कि उन मतदाताओं को वोट देने में किसी प्रकार का अवरोध तो नहीं है और यदि ऐसा है तो उपाय किये जायेंगे।
- (vii) मतदान समाप्ति के पश्चात् सैक्टर अधिकारी के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी कि

उसके सैक्टर के अमुक—अमुक Vulnerable Pockets के मतदाताओं ने वोट दिया है अथवा नहीं।

- (viii) मतदान दिवस को पर्यवेक्षक भी भय/प्रताड़नाग्रस्त मतदाताओं के संबंध में ध्यान रखेंगे।
- (ix) जिन मतदान केन्द्रों के मतदाताओं के रजिस्ट (17—ए) तथा अन्य रिकार्ड की संवीक्षा मतदान के बाद अगले दिन पर्यवेक्षक व रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाती है तो उनमें भय/प्रताड़नाग्रस्त मतदाताओं के द्वारा मताधिकार के प्रयोग की स्थिति भी देखी जायेगी।

7. सैक्टर अधिकारी के लिए अन्य बिन्दु

सैक्टर अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह अपने सैक्टर में भ्रमण के दौरान अपने पहचान पत्र को प्रदर्शित रखें।

8. सम्प्रेषण योजना

- (i) सैक्टर में सभी मतदान केन्द्रों के भवनों, बूथ लेवल अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर
- (ii) पुलिस थाना, पुलिस मोबाइल दलों, केन्द्रीय पुलिस बल के प्रभारियों के नाम व सम्पर्क नम्बर
- (iii) कन्ट्रोल रूम, RO, ARO, DEO, Dy. DEO, एरिया मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक व चुनाव संबंधी अन्य अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर
- (iv) सैक्टर अधिकारियों को भ्रमण के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं की विडियोग्राफी भी करानी चाहिए और ऐसे विडियोग्राफी की सीडी उसी दिन अपनी रिपोर्ट के साथ RO को सौंपी जावे।
- (v) पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारियों को दिये गये प्रशिक्षण की जानकारी रहनी चाहिए तथा मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण मतदान दलों के साथ लेना चाहिए।
- (vi) उनको सैक्टर का विस्तृत नक्शा एवं प्लान तैयार रखना चाहिए।
- (vii) मतदाता हैल्पलाईनों के संबंध में विवरण उपलब्ध होना चाहिए।
- (viii) आरक्षित वोटिंग मशीन का सैट रखना चाहिए। मतदान केन्द्र पर वोटिंग मशीन के खराब होने पर मशीन का पूरा सैट ही बदला जायेगा।

- (ix) सैक्टर अधिकारी मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रह कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त डाक मतपत्र से मतदान करें।
- (x) सैक्टर अधिकारी— सैक्टर मजिस्ट्रेटों एवं एरिया मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण में भी उपस्थित रह कर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- (xi) Systematic Voter Education & Electoral Participation (SVEEP) कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने सैक्टर में गतिविधियों को सम्पादित कराना।

9. वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था की गई है। हैल्प लाइन नंबर डायल करके या एस.एम.एस. कर के मतदाता अपने से संबंधित फोटो मतदाता सूची में नाम व प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

डायल करें – 1950

एस.एम.एस. करें—मोबाइल 9251092103 पर

उदाहरण : VOTERJ <Space> RJ/01/001/123456

(मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या)

वेबसाइट – www.ceorajasthan.nic.in के होम पेज पर "search your name in electoral rolls" पर Click करें

10. सैक्टर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन

- (i) सैक्टर अधिकारी अपनी नियुक्ति के पश्चात् क्षेत्र में प्रत्येक भ्रमण के संबंध में संलग्न प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 में बताये गये बिन्दुओं के अनुसार भ्रमण प्रतिवेदन रिटर्निंग अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) सैक्टर अधिकारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से नामांकन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के पूर्व दिवस तक भ्रमण कर Vulnerability Mapping के संबंध में एकत्र सूचना Format VM-SO में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व दिवस को की जायेगी।

- (iii) मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान दिवस की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत विवरण के साथ एक रिपोर्ट सैक्टर अधिकारी निर्धारित प्रपत्र-3 में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- (iv) मतदान दिवस को भ्रमण के समय उपयोग हेतु प्रपत्र-4 में चैक लिस्ट।

Format VM-SO

(The Sector Officer/ Sector Magistrate has to fill a different Format VM-SO for each Polling Station in his Sector, and as many Formats VM-SO as is the number of Polling Stations in his Sector.

Each Format VM-SO must contain the details for all Vulnerable Localities/ Pockets/ Voter Segments in one Polling Station area of the Sector.

It must be ensured and certified that no locality/ pocket/ voter segment which is vulnerable has escaped or been missed from inclusion in this format for any polling station area).

Number and Name of the AC –

Number and Name of the Polling Station -

I. Name of the Locality –

Date of Information-

A. List of Vulnerable Houses/ Families

S.No.	House No./Family Name/other identifying details of the Household/ Family which has Vulnerable Voters in the Locality	Number of Voters identified as Vulnerable in the house/family identified in col-2	Contact No. of the Household, if any	Action Taken/Proposed	Remarks
1	2	3	4	5	6
Total					

B. List of Persons to be Tracked/ Prevented from Intimidating/ Wrongly Influencing Voters:

S.No.	Name of the Person	Contact No./Address of the person	Action Taken/Proposed	Remarks
1	2	3	4	5
Total				

II. Name of the Locality – .. **Date of Information-**

A. List of ..

B. List of ..

III. Name of the Locality – .. **Date of Information-**

A. List of ..

B. List of ..

IV. ...

CERTIFICATION BY THE SECTOR OFFICER/ SECTOR MAGISTRATE

It is hereby certified that no locality/ pocket/ voter segment which is ‘vulnerable’ from the point of view of the Assembly Elections, 2013 in the area of the polling station no. -----, Polling station name ----- which is included in my Sector, has escaped or been missed from inclusion in this format.

Signatures of Sector Officer/ Sector Magistrate

Name and Mobile No. of the Sector Officer/ Sector Magistrate

प्रपत्र-1

सैक्टर अधिकारी द्वारा सैक्टर में किये गये विभिन्न भ्रमणों के प्रतिवेदन का प्रपत्र

(विधानसभा क्षेत्र)

सैक्टर का नाम अथवा नम्बर :

सैक्टर ऑफिसर का नाम:

क्र.सं.	मतदान केन्द्र का नाम जहाँ भ्रमण किया गया	ढांचागत व्यवस्था (हाँ/नहीं/रिपोर्ट)					मतदाताओं की संख्या	क्या भ्रमण के दौरान बी.एल.ओ. साथ रहा (हाँ/नहीं)	अब तक ज्ञात भय ग्रस्त मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र, ग्राम तथा मतदान क्षेत्र के संबंध में कोई विशिष्ट अभ्युक्ति
		रैम्प	सड़क सम्पर्क	पानी	छाया	मतदान केन्द्र क्या भूतल पर है?				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
क्रमशः										

सैक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर:
भ्रमण का दिनांक:

प्रपत्र-2

भयग्रस्त ग्रामों/ढाणियों के संबंध में सूचना के संग्रहण के लिये प्रपत्र

जिले का नाम :

विधानसभा क्षेत्र:

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम	मतदान केन्द्र में समिलित ग्रामों/ ढाणियों के नाम	भयग्रस्त क्षेत्र के रूप में चिह्नित ग्रामों/ ढाणियों के नाम	गड़बड़ी के संभावित स्रोत के रूप में चिह्नित व्यक्तियों के नाम	विशेष विवरण (भय का प्रकार, यथा – जातिगत प्रभुत्व, साम्प्रदायिक तनाव, आपराधिक गुट इत्यादि)
1	2	3	4	5

प्रपत्र-3

सैक्टर अधिकारी की रिपोर्ट का प्रपत्र (मतदान दिवस)

सैक्टर अधिकारी का नाम :

विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम:


रुट नम्बर:

अभ्यर्थियों की संख्या:

मशीन तथा सार्विक कागजात स्ट्रॉग रूम मे क्या जमा करा दिये गये (हौं / नहीं)								
क्या पुर्जमतदान की अनुशंसा की गई (हौं / नहीं)								
प्रत्येक विकायत का स्रोत, इनकी प्रकृति तथा निराकरण के लिये की गई कार्यवाही								
मतदान दिवस को प्राप्त विकायते								
पीठासीन अधिकारी की ड्यूरी, 17ग व्या चैक कर लिये गये हैं और इनका भिलान कर लिया गया है (हौं / नहीं)	19							
क्या मरीने बन्द करके सही रूप से सील कर दी गई है (हौं / नहीं)	18							
भय प्राङ्गन से प्रस्त मतदाताओं मे से किनते प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया है।	17							
जाले गये मरों का कुल प्रतिशत	16							
मतदान के समाप्ति के बाद क्या मतदान हुआ (हौं / नहीं)	15							
अपराह्न 5.00 बजे बाद पर्वी प्राप्त करते हुए जिन मतदाताओं ने मतदान किया है उनकी संख्या	14							
मतदान समाप्ति के बाद क्या मतदान हुआ (हौं / नहीं)	13							
दृष्टिय भ्रमण के समय जाले गये मरों की संख्या (समय बताएं)	12							
दृष्टिय भ्रमण के समय जाले गये मरों की संख्या (समय बताएं)	11							
प्रथम भ्रमण के समय जाले गये मरों की संख्या (समय बताएं)	10							
दलीय अस्थार्थियों की संख्या जिनके मतदान अभिकर्ता नहीं थे	9							
उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या	8							
क्या दिखावटी मतदान किया गया (हौं / नहीं)	7							
कुल मतदाता	6							
बीडियो केरमा तैनात किया गया (हौं / नहीं)	5							
माझको आपत्तिर तैनात किया गया (हौं / नहीं)	4							
केन्द्रीय बल तैनात किया गया (हौं / नहीं)	3							
मतदान के दस्तावेज़ों की संख्या	2							
	1							

प्रपत्र -4

सैक्टर नम्बर 01/85 बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र
अ. नजरी नक्शा



ब. जोन में सम्मिलित निम्न मतदान केन्द्र के क्षेत्र व परिक्षेत्र जिनमें Vulnerable voters/families को चिह्नित किया गया है –

1..... 2..... 3..... 4.....

स. सैक्टर में चिन्हित किए गये असामाजिक तत्वों के नाम एवं इलाका –

- 1.
- 2.
- 3.

द. सैक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान केन्द्र पर देखे जाने वाले बिन्दु

	बिन्दु	स्रोत
1.	मतदाता अनुशासित रूप से पंक्तिबद्ध है या नहीं ?	मतदान अभिकर्ताओं से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
2.	मतदान दल द्वारा मतदाता की पहचान हेतु आयोग के अधिकृत वैकल्पिक दस्तावेज देख कर पहचान की जा रही है अथवा नहीं?	
3.	मतदान केन्द्र में अनाधिकृत व्यक्ति उपस्थित तो नहीं है?	मतदान अभिकर्ता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
4.	मतदान दल के सदस्य बार-बार वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में तो नहीं जा रहे हैं?	
5.	मतदान दल द्वारा प्रारूप 17क का इन्ड्राज किया जा रहा है या नहीं?	मतदान अधिकारी द्वितीय के पास रजिस्टर देखकर
6.	मतदाता मतदान करने के बाद अमित स्याही को मिटा तो नहीं रहे हैं?	मतदान के पश्चात् मतदाता की अंगुली पर निशान देखकर
7.	भय प्रताड़ना से ग्रस्त मतदाताओं में से मतदाता वोट देने के लिये आ रहे हैं अथवा नहीं ?	चिन्हित मतदाता सूची में भय-प्रताड़ना से ग्रस्त मतदाताओं को इंगित करने हेतु साईड मार्जिन में लाईन एवं मतदान दिवस को क्षेत्रों का भ्रमण

य. सम्पर्क टेलिफोन नम्बर

1. जिला कन्ट्रोल रूम
2. पर्यवेक्षक
3. रिटर्निंग ऑफिसर
4. सैक्टर मजिस्ट्रेट का नाम व मोबाइल नम्बर